तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	10/11/25 – पत्रावली पेश है। वकील पक्षकारान् उप०। बहस सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश मे पत्रावली दिनांक 21/11/2025 को पेश हो।	
21/11/2025	बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम हरिपुरा की ख0नं0 246 रकबा 2.82है0 पर प्रार्थी खातेदार है एवं खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती अनाधिकृत रूप से प्रार्थी के कब्जे काश्त वाली भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी जिसका मुद्रा में मुल्याकंन किया जाना संभवन नहीं होगा। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः दिनांक 16.04.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निस्तारण तक नियमित किया जाता है। अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	